संख्या- 68 /2021/1872/ई-2/तेरह-2021-473515

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उ. प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 12 अक्टूबर, 2021

विषयः- मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लिमिटेड, ग्राम भोजपुर, तहसील- मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की अधिष्ठापित क्षमता 150 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 75 लाख लीटर से घटाकर 30 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा शेष 120 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-100/दो-प्रा.डी.-69, दिनांक 15-03-2021, पत्र संख्या-जी-45/दो-प्रा0डी0-69, दिनांक 10-09-2021 तथा तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-09-2021 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-2037ई-2/तेरह-2021-473515, दिनांक 05-10-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लिमिटेड, ग्राम भोजपुर, तहसील-मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद द्वारा पेय मदिरा की बिक्री स्वीकृत पेय क्षमता के सापेक्ष न कर पाने तथा विभिन्न पेट्रोलियम डिपो को एथनॉल की आपूर्ति किये जाने के उद्देश्य से प्रश्नगत आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 150 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 75 लाख लीटर को घटाकर 30 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता 120 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) शासनादेश संख्या-94/2019/2377ई-2/तेरह-2019-50/96, दिनांक 03-12-2019 में लगाये गये अन्य प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

(2) गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना)(तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 में उल्लिखित नियमों व शर्तों का अक्षरश:अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in